नितिन गडकरी,

ग्रामीण विकास, पंचायतीराज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार

सं: डब्ल्यू-11012/01/2014-एनबीए

11 अगस्त, 2014

प्रिय महोदय/महोदया,

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय निर्मल भारत के लक्ष्य को 2019 तक प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में वृद्धि करने के उद्देश्य से निर्मल भारत अभियान (एनबीए) कार्यक्रम का संचालन करता है। वैयक्तिक घरेलू शौचालय (आईएचएचएल), विद्यालय और आंगनवा ड़ी शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता कांपलैक्स और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं।

2. इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति ठीक नहीं है , क्योंकि हमारी लगभग 60% ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करती है। इससे जनसंख्या में स्वास्थ्य की समस्याएँ पैदा होती हैं और यह विशेष रूप से सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करता है।

3. वर्तमान में निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी जा रही है:--

क). वैयक्तिक घरेलू शौचालय (आईएचएचएल):-रू० 4600/-

(पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए रू० 5100/-) इसमें से केंद्र का हिस्सा रू 3200/- (पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए रू० 3700/-) है तथा राज्य का हिस्सा रू० 1400/- है। रू० 5400/- तक की राशि मनरेगा के अंतर्गत भी उपलब्ध है। लाभार्थी को रू० 900/- का अंशदान देना होगा।

ख). स्कूली शौचालय:- स्कूल शौचालय की यूनिट लागत रू० 35000/- है(पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए रू० 35000/-)। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्कूल शौचालयों के लिए फंडिंग का अनुपात 70:30 है।

ग). ऑंगनवा़ड़ी शौचालय: ग्रामीण क्षेत्रों में आँगनवा़ड़ी शौचालयों की यूनिट लागत रू० 8,000/- है (पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए रू० 10,000/-)। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऑंगनवा ड़ी शौचालयों के लिए फंडिंग का अनुपात क्रमश: 70:30 है।

घ). सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्स (सीएससी): सामुदायिक स्वच्छता कांपलैक्सों के लिए यूनिट लागत रू 2.00 लाख है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और समुदाय में शेयरिंग पैटर्न 60:30:10 के अनुपात में है।

च). सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट(एसएलडब्ल्यूएम): एसएलडब्ल्यूएम के लिए एनबीए के अधीन कुल सहायता प्रत्येक जीपी में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर है , लेकिन यह सहायता 150 परिवारों तक वाली ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम रू० 7 लाख, 300 परिवारों तक के लिए रू० 12 लाख, 500 परिवारों तक के लिए रू० 15 लाख और 500 परिवारों से अधिक की ग्राम पंचायतों के लिए रू० 20 लाख की होगी। एनबीए के अंतर्गत एसएलडब्ल्यूएम परियोजना के लिए फंडिंग केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा 70:30 के अनुपात में की जाती है।

4. उपरोक्त गतिविधियों के लिए अतिरिक्त फंडिंग के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह अपेक्षा है कि इस फंडिंग से अधिक शौचालयों का निर्माण हो सकेगा। इस क्षेत्र के सभी स्रोतों से अतिरिक्त वित्तीय स्रोत पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है। एमपीएलएडीएस अतिरिक्त सहायता के संभव स्रोतों में से एक है।

5. एमपीएलएडीएस गाइडलाइंस से सार तात्कालिक संदर्भ के लिए संलग्न है। एमपीएलएडीएस फंड आईएचएचएल(लाभार्थियों की लिस्ट का उल्लेख किए बिना), स्कूल और आँगनव ड़ी शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्सों (सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों) के निर्माण और सालिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट गतिविधियों के लिए दिया जा सकता है क्योंकि निर्मल भारत अभियान (एनबीए) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में प्रत्येक योजना (केंद्रीय एवं राज्य शेयर) के अंतर्गत समस्त अनुमोदित यूनिट लागत को अन्य दूसरी योजना के साथ मिलाए बिना एमपीएलएडी फंड के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

6. अत: आपके चुनाव क्षेत्र में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार लाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक मामले में समस्त अनुमोदित यूनिट लागत (केंद्रीय एवं राज्य शेयर) को पूरा करने के लिए आईएचएचएल(लाभार्थियों की सूची दिए बिना, स्कूल और आँगनव ड़ी शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता काम्पलैक्सों (सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों) के निर्माण तथा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं के लिए अपने एमपीएलएडीएस से फंड के आबंटन की सिफारिश करें।

तथापि, आप भौगोलिक क्षेत्रों जिनमें एमपीएलएडीएस फंड खर्च किया जाना है, का विशेष स्थिति उल्लेख कर सकते हैं। यह हमारे गॉवों में निर्मल स्टैटस प्राप्त करते हुए और खुले में शौच करने जैसी बुराई को तथा गॉवों में गंदगी को दूर करते हुए देश में सभी ग्राम पंचायतों के साथ 2019 तक निर्मल भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करेगा।

सादर,

भवदीय

(नितिन गडकरी)

माननीय संसद सदस्य

लोकसभा

नितिन गडकरी
Nitin Gadkari

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, PANCHAYATI RAJ
AND DRINKING WATER & SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA

अ.शा.पत्र सं.डब्लू- 11012/01/2014 -एनबीए

11 अगस्त, 2014

प्रिय महोदय/ महोदया,

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, वर्ष 2019 तक निर्मल भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का संचालन करता है। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल), स्कूली तथा आंगनवाडी शौचालयों एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति इस समय संतोषजनक नहीं है क्योंकि लगभग हमारी 60% ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है। इससे ग्रामीण आबादी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा खासकर महिलाओं एवं बच्चों की संरक्षा, सुरक्षा एवं आत्म सम्मान प्रभावित होता है।

3. वर्तमान में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है:-

(क) **वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल):** 4,600/- रुपए (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 5,100/- रुपए)। इसमें से केन्द्रीय हिस्सा 3,200/- रुपए (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 3,700/- रुपए) तथा राज्य का हिस्सा 1,400/- रुपए है। मनरेगा के अंतर्गत 5,400/- रुपए तक की राशि भी उपलब्ध है। लाभार्थी को 900/- रुपए का अंशदान देना होता है।

(ख) **स्कूली शौचालय:** स्कूली शौचालय के निर्माण की इकाई लागत 35,000/- रुपए है (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों की स्थिति में 38,500/- रुपए)। स्कूली शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण 70:30 के अनुपात में है।

(ग) **आंगनवाडी शौचालय:** ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाडी में शौचालयों के निर्माण की इकाई लागत 8,000/- रुपए है (पर्वतीय तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए 10,000/- रुपए)। आंगनवाडी शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण 70:30 के अनुपात में है।

(घ) **सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी):** सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की इकाई लागत 2.00 लाख रुपए है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा समुदाय के बीच हिस्सेदारी का ढांचा 60:30:10 के अनुपात में है।

(ड.) **ठोस तथा तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्लूएम):** एनबीए के अंतर्गत एसएलडब्लूएम के लिए कुल सहायता, प्रत्येक ग्राम पंचायत में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर दी जाती है, जिसकी सीमा 150 परिवारों तक की ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम 7 लाख रुपए, 300 परिवारों तक की ग्राम पंचायत के लिए 12 लाख रुपए, 500 परिवारों तक की ग्राम पंचायत के लिए 15 लाख रुपए तथा 500 परिवारों से अधिक तक की ग्राम पंचायतों के लिए 20 लाख रुपए है। एनबीए के अंतर्गत एसएलडब्लूएम परियोजना के लिए वित्तपोषण 70:30 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

....2/-

Office: 'G'Wing, Ground Floor, Krishi Bhavan, New Delhi- 110001
Phone: 011-23782373, 23782327 Fax: 011-23385878

4. उपर्युक्त गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्त-पोषण हेतु विभिन्न स्टेकहोल्डरों से अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। यह आशा की जाती है कि अतिरिक्त वित्त पोषण से और अधिक शौचालयों के निर्माण का मार्ग सुगम हो सकेगा। इस क्षेत्र में सभी स्रोतों से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को इसके साथ जोड़े जाने की अत्यंत आवश्यकता है। अतिरिक्त सहायता के संभावित स्रोतों में से एक स्रोत एमपीएलएडीएस है।

5. एमपीएलएडीएस के दिशा-निर्देशों का उद्धरण आपके तुरत संदर्भ हेतु संलग्न है। एमपीएलएडीएस निधियां, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) (लाभार्थियों की सूची इंगित किए बिना), स्कूली एवं आंगनवाडी शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानगृह) और ठोस तथा तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं, चूंकि निर्मल भारत अभियान (एनबीए), केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है। ऐसे मामलों में, प्रत्येक स्कीम के तहत कुल अनुमोदित इकाई लागत (केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा) को एमपीएलएडीएस निधियों से, बिना किसी अन्य स्कीम के साथ तालमेल करके, पूरा किया जा सकता है।

6. अतः अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि अपने एमपीएलएडीएस में से निधियों के आबंटन की सिफारिश आईएचएचएल (लाभार्थियों की सूची इंगित किए बिना), स्कूली तथा आंगनवाडी शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए करें ताकि इस स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में, कुल अनुमोदित इकाई लागत (केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा) को पूरा किया जा सके। तथापि, आप भौगोलिक क्षेत्रों का निर्धारण कर सकते हैं, जहाँ एमपीएलएडीएस निधियों को खर्च किया जाना है। इससे देश की सभी ग्राम पंचायतों में 'निर्मल स्थिति' प्राप्त करके तथा खुले में शौच के अभिशाप को दूर करके तथा गाँवों की मलिनता को समाप्त करके वर्ष 2019 तक निर्मल भारत के स्वप्न को सार्थक करने में सहायता मिलेगी।

सादर,

भवदीय

(नितिन गडकरी)

संसद के माननीय सदस्य
लोक सभा

EXTRACTS FROM MPLADS GUIDELINES

Para 1.3 The objective of the scheme is to enable MPs to recommend works of developmental nature with emphasis on the creation of durable community assets based on the locally felt needs to be taken up in their Constituencies. Right from inception of the Scheme, durable assets of national priorities viz. drinking water, primary education, public health, sanitation and roads, etc. are being created.

Para 3.17 MPLAD Scheme can be converged in individual/stand-alone projects of other Central and State Government schemes provided such works of Central/State Governments Schemes are eligible under MPLADS. Funds from local bodies can similarly also be pooled with MPLADS works. Wherever such pooling is done, funds from other scheme sources should be used first and the MPLADS funds should be released later, so that MPLADS fund results in completion of the project.

Para 3.18 The MPs may recommend augmentation by certain amount out of his MPLADS funds in a Centrally sponsored Scheme against central plus State share indicating the geographical area where to be implemented and the amount recommended, but will not be permitted to indicate the beneficiaries, who will continue to be as per any prior list /priority list already drawn up by the District Authority, and the list would not require a change on the request of the MP.

Annexure II

LIST OF WORKS PROHIBITED UNDER MPLADS

11. Assets for individual/family benefits.(However, as per para 3.28 and 3.28.1 of the guidelines, tri-cycle (including motorised, artificial limbs and battery operated motorized wheelchair to differently abled deserving persons are permitted). **MPs may also provide MPLADS funds to Centrally Sponsored Schemes providing assets for individually family use,** with the proviso that the M.P. will not add or change the priority list or any of the criteria for selection declared in the centrally sponsored scheme. He may not nominate specific individuals as beneficiaries, but can nominate the geographical area where these MPLADS funds would be spent.

Annexure-IVE

LIST OF SECTOR AND SCHEMES CODES

(This is sector wise type of illustrative works under MPLADS and is subject to the provisions in the Guidelines. This is not to be treated as an exhaustive lit, nor a shelf of projects/master list of eligible items under MPLADS).

SECTOR SCHEME

IX. SANITATION AND PUBLIC HEALTH (09)

1. Drains and gutters for public drainage 09001
2. Public toilets and bathrooms 09002
3. Garbage collection and night soil disposal System, earth movers including vehicles for local bodies 09003
4. Other works for sanitation and public health 09999